

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001
साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या - 06/2020, मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	मंगलवार 12.07.2022	600009, 600011, 600016, 600019, 600037, 600039, 600071, 600078, 600081, 600086, 600098, 600105, 600121, 600122, 600150, 600186, 600209, 600213, 600238, 600239, 600250, 600260, 600261, 600279	600306, 600337, 600347, 600358, 600380, 600399, 600401, 600424, 600470, 600483, 600504, 600524, 600533, 600546, 600578, 600583, 600606, 600634, 600645, 600657, 600671, 600675, 600682, 600741
2.	बुधवार 13.07.2022	600754, 600829, 600832, 600850, 600896, 600914, 600920, 600924, 600927, 600979, 601012, 601015, 601025, 601042, 601050, 601070, 601085, 601096, 601114, 601120, 601155, 601196, 601207, 601226	601227, 601263, 601275, 601278, 601282, 601294, 601330, 601335, 601370, 601372, 601397, 601424, 601445, 601457, 601467, 601468, 601536, 601549, 601558, 601569, 601591, 601652, 601674, 601680
3.	गुरुवार 14.07.2022	601687, 601696, 601735, 601738, 601741, 601743, 601780, 601797, 601824, 601835, 601845, 601850, 601852, 601853, 601859, 601887, 601888, 601900, 601922, 601926, 601932, 601967, 601970, 602001	602028, 602066, 602074, 602091, 602117, 602133, 602148, 602173, 602175, 602204, 602208, 602237, 602244, 602252, 602262, 602268, 602282, 602284, 602353, 602360, 602365, 602377, 602390, 602398
4.	शुक्रवार 15.07.2022	602404, 602420, 602444, 602446, 602454, 602461, 602493, 602500, 602531, 602533, 602537, 602563, 602564, 602578, 602605, 602619, 602625, 602632, 602635, 602640, 602642, 602643, 602644, 602645	602649, 602682, 602707, 602717, 602739, 602742, 602763, 602772, 602787, 602791, 602794, 602808, 602822, 602838, 602842, 602851, 602855, 602861, 602862, 602926, 602938, 602948, 602961, 602964
5.	शनिवार 16.07.2022	602972, 602977, 602992, 603005, 603051, 603069, 603075, 603077, 603078, 603079, 603081, 603083, 603086, 603087, 603088, 603089, 603090, 603092, 603095, 603097, 603098, 603100, 603101, 603103	603105, 603107, 603108, 603109, 603110, 603111


- उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
- साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा:-
 - किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास (मैट्रिक उत्तीर्णता) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
नोट: संस्थान/विश्वविद्यालय आदि से CGPA/OGP/CPI इत्यादि का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला (Conversion Formula)।
 - गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञापति (ड्राइविंग लाइसेंस)।
नोट: प्रशिक्षु चालन अनुज्ञापति (लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस) मान्य नहीं होगा।
 - ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - अनुभव का दावा करने की स्थिति में विज्ञापन की कडिका-5 के अनुरूप अनुभव प्रमाण-पत्र।
(क) नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।
(ख) अनुभव प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी का वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(ग) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14.07.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए।
(घ) अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक - 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में इस विज्ञापन के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति (03) कोटि के अन्तर्गत आवेदन करनेवाले लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) कोटि में मान्य किया गया है। तदालोक में उन्हें क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।

- (x) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक - 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।
- (xi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत प्रमाण पत्र।
- (xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- (xiii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- (xiv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xv) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (Recent Coloured Photograph)।
- (xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

शैक्षिक योग्यता/अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है। शैक्षिक योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित मूल/औपबधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (14.07.2020) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

4. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा-मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
8. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, Wifi, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
9. कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन SOP का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।


16.6.22
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना